संख्या-12 /2023/001-213 60 3 2023 सी 1685800 2023

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 31 मार्च 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये हब फॉर इम्पा वर ऑफ वूमेन के लिये स्वीकृत केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति के सम्बान्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हब फॉर इम्पावर ऑफ वूमेन योजनान्तर्गत केन्द्रां श की प्रथम किश्त के रूप में स्वी कृत कुल धनराशि रू0-5,90,28,000/- (रूपये पांच करोड नब्बे लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को आपके पत्र संख्यान-2440/निदे0म0क0/अनु0/एचईडब्ल्यू/2022-23, दिनांक 17.02.2023 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-24/2022/बी-1-750/दस-2022-231/2022, दिनांक 08.11.2022 शासनादेश संख्या-बी-1-755/दस-2022-231/2022, दिनांक 10.11.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु निदेशक, महिला कल्याण द्वारा किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(7) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि आहरित करके निदेशक, महिला कल्याण द्वारा भारत सरकार की योजना से संबंधित पुनरीक्षित गाइडलाइन्स के अनुसार व्यय किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,90,28,000 (रुपये पांच करोड़ नव्वे लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021030206 महिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शक्ति केन्द्र की स्थापना (के.60/रा.40-के.) मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-4-586-एक्स-2022-23, दिनांक- 31 मार्च, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-12 /2023/001-213 60 3 2023 सी 1685800 2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।